न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, हाल- श्री गंगानगर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. मनीष जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति- जैन, निवासी- आर्य समाज रोड, मोचीवाडा, सिरोही, तहसील व जिला- सिरोही
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाड जी मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही

2. 1. प्रवीण कुमार जोशी, अहीर मोहल्ला, कुराज, तह. रेल मगरा, जिला-राजसमन्द, (भागीदार एवं सप्लायर)

फर्म:- साक्षी प्राईम कंसलटेंसी, मार्केटिंग प्राईवेट लिमि. प्लॉट नं.1 सुभाषनगर, राजसमन्द

2. इमरान खान चुडीगर, मकान नं. 110, पठानवाडी, राजनगर, जिला-राजसमन्द
(भागीदार एवं सप्लायर)

फर्म:- साक्षी प्राईम कंसलटेंसी, मार्केटिंग प्राईवेट लिमि. प्लॉट नं.1 सुभाषनगर, राजसमन्द

3. मोहम्मद आरिफ चुडीगर, पठानवाडी, राजनगर, जिला-राजसमन्द
(भागीदार एवं सप्लायर)

फर्म:- साक्षी प्राईम कंसलटेंसी, मार्केटिंग प्राईवेट लिमि. प्लॉट नं.1 सुभाषनगर, राजसमन्द

3. शैलेष मनियार पुत्र हर्षद भाई मनियार, निवासी- बी/703 मुरलीधर अपार्टमेन्ट, अजीत पार्क सोसायटी, लाईट रोड, सूरत- 395007
(खाद्य कारोबारकर्ता एवं नॉमिनी)

निर्माता फर्म: यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत-394510

4. मैसर्स यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत-394510 जरिये नॉमिनी:- शैलेष मनियार पुत्र हर्षद भाई मनियार, निवासी- बी/703 मुरलीधर अपार्टमेन्ट, अजीत पार्क सोसायटी, लाईट रोड, सूरत- 395007

प्रकरण संख्या: 28/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 "

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित, अभियुक्तगण की ओर से
2. श्री शैलेष मनियार (नॉमिनी निर्माता फर्म: यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि.
3. श्री मनीष जैन, अभियुक्त संख्या-1

-: निर्णय :- दिनांक 10 अप्रेल, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि

......पेज दो पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 04.2.2016 को फर्म अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाड जी मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्ड्वाडा, जिला- सिरोही की सप्लाई वेन RJ30 GA 4108 को हॉस्पिटल रोड, वीरवाडा पर रुकवाकर निरीक्षण किया। विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति मनीष जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, निवासी- आर्य समाज रोड, मोचीवाडा, सिरोही है एवं फर्म अम्बिका एजेन्सी सिरोही की सप्लाई वेन में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का विक्रय हेतु सप्लाई एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विकय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं सप्लाई वेन में विक्रय हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के 720 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 35+15=50 ग्राम) में से 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 35+15=50 ग्राम) क्रय किये एवं उसकी कीमत रुपये 520/- अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के 10-10 पैक्ड पाउचेज को मिलाकर चार पैकेट बनाकर पॉलिथिन थैलियों में डालकर टेप से चिपकाया। फिर चारो नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-534 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 05.2.2016 को नमूनें का एक

......पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सीलड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 05.2.2016 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का नमूना S-534 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। अनुसंधान की प्रक्रिया में समय लगने के कारण प्रकरण को न्यायालय में प्रस्तुत करने की समय सीमा एक वर्ष निकल जाने पर आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर से समय सीमा विस्तार के आदेश प्राप्त किये, जो संलग्न है। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्मने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक पुरोहित उपस्थित हुये। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 10.4.2018 को अभियुक्त संख्या- 1 व 3 भी उपस्थित हुये। प्रकरण में अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने दिनांक 10.4.2018 को अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जिसमें यह अंकित किया गया है कि खाद्य सुरक्षा अकािरी द्वारा दिनांक 04.2.2016 को फर्म अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाड जी मंदिर के पास, वीरवाडा, जिला- सिरोही की सप्लाई वेन आर.जे.30 जीए 4108 रुकवाकर निरीक्षण करने एवं निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के पाउचेज खरीद करने का कथन सही है। खाद्य सुरक्षा

.....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

अधिकारी द्वारा खरीदशुदा खाद्य पदार्थ का विधि में प्रदत्त नियमों/प्रावधानों अनुसार नमूना लेने की कार्यवाही मौके पर नही की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के नमूने की जांच रिपोर्ट की प्रति अभियुक्त संख्या- 3 व 4 को प्रेषित नही की है जिससे निर्माता फर्म निर्धारित 30 दिन की अवधि के भीतर रेफरल लेब्रोरेट्री में जांच के अपने विधिक अधिकार से वंचित हो गई है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह भी अंकित किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा ऐसा कोई कार्य नही किया गया है जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पडे व न ही खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट पाई गई है। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ का नमूना मिथ्या पाया गया है जो एक सद्भावक त्रुटि है, प्रिंटीग प्रेस में लेबल पर अंकन त्रुटिपूर्ण होने में अभियुक्तगण की कोई बदनियति नही रही है। उक्त त्रुटि प्रथम बार हुई है जिसे जानकारी में आते ही अभियुक्तगण ने उक्त त्रुटि को सुधार दिया है। अभियुक्तगण भविष्य में ऐसी कोई त्रुटि नही होने देंगे। अतः प्रकरण में अभियुक्तगण को न्यायहित में दोषमुक्त किया जावे। यदि माननीय न्यायालय इस सद्भाविक मिथ्याछाप को दोषपूर्ण मानता है तो अभियुक्तगण का प्रथम अपराध मानते हुये उसे कम से कम जुर्माने से दण्डित कर दोषमुक्त किया जावे तथा दोषपूर्ण माने जाने की दषा में अभियुक्त निर्माता फर्म सभी अभियुक्तगण की ओर से जुर्माना राशि भरने का तैयार है।

(3) प्रकरण में अभियुक्तगण के अधिवक्ता के अनुरोध पर दिनांक 10.4.2018 को ही बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.2.2016 को अभियुक्त संख्या-1 मनीष जैन की फर्म अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाडजी के पास, वीरवाडा की सप्लाई वेन में विक्रय हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के पैकड पाउचेज में से 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 50 ग्राम) मनीष जैन से जांच हेतु क्रय किये थे जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में मिथ्याछाप पाया गया है, जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होने का कारण यह बताया है कि उक्त खाद्य पदार्थ की पैक्ड पाउच लेबल पर Less oil for healthy Heart, Zero transfat, Cholesterol free अंकन किया है। उक्त त्रुटि निर्माता फर्म द्वारा पैकड पाउचेज के लेबल प्रिंट करवाते समय सद्भाविक रुप से हुई एवं अब उक्त त्रुटि को सुधार कर दिया है। यह अभियुक्तगण का पहली त्रुटि है, इसलिये उक्त परिस्थितियों को दृष्टि रखते हुए कम से कम जुर्माना आरोपित किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि दिनांक 04.2.2016 को 11.00 ए.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने गश्त चैकिंग के दौरान अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाडजी मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही की सप्लाई वेन नम्बर RJ 30 GA 4108 का हॉस्पिटल रोड, वीरवाडा पर निरीक्षण किया गया। उक्त सप्लाई वेन

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

नम्बर RJ 30 GA 4108 में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से मनीष जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति- जैन, निवासी- आर्य समाज रोड, मोचीवाडा, सिरोही उपस्थित मिले। जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का विक्रय एवं सप्लाई करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान उक्त सप्लाई वाहन नम्बर RJ 30 GA 4108 में आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना कय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री गोरखाराम पुत्र पूनमाजी माली, निवासी- मालीवास, वीरवाडा के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता मनीष जैन को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त सप्लाई वाहन में विक्रय हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के 720 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 35+15=50 ग्राम) में से 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 35+15=50 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) अदा कर कय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-534, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् क्रय शुदा खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के 10-10 पाउचेज को मिलाकर चार पैकेट बनाये व पॉलीथीन की थेलियों में डालकर टेप से चिपकाया एवं पुनः गत्ते से पैक कर टेप से चिपकाया। तत्पश्चात् चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाकर चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-534 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता मनीष जैन, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ प्रोपराईटरी Getmore Euro brand Tingling Tomato को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। .....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 05.2.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 05.2.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का नमूना संख्या S-534 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांकः L.S./122/Act/2016/154 दिनांक 16.2.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स अम्बिका एजेन्सी सिरोही, वामनवाडजी मंदिर के पास, वीरवाडा, तहसील- पिण्डवाडा, जिला- सिरोही की उक्त सप्लाई वेन में खाद्यकारोबारकर्ता/विक्रेता मनीष जैन से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(B)(ii) के अन्तर्गत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है, जो Regulation No. 2.2.1.3 and 2.3.1.5 of Food Safety and Standards (packaging and Labelling) Regulations, 2011 का उल्लंघन है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में श्री मनीष जैन, अम्बिका एजेन्सीज, बामणवाडजी मंदिर के पास, वीरवाडा, जिला- सिरोही एवं यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि. हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक/संस्था/एफएसएसए/2016/1453 दिनांक 11.3.2016 से खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में 30 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि अभियुक्त संख्या-1 मनीष जैन की फर्म अम्बिका एजेन्सी (सिरोही), बामनवाडजी मंदिर के पास, सिरोही द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Getrnore Euro brand Tingling Tomato के 35+15 ग्राम के पैक्ड पाउचेज को सप्लायर फर्म साक्षी प्राईम कंसलटेंसी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड से वेट इनवोइस नम्बर 77 दिनांक 21.1.2016 के द्वारा क्रय किये गये थे जो अभियुक्तगण संख्या-2 (प्रवीण कुमार जोशी, इमरान खान चूडीगर व मोहम्मद आरिफ चूडीगर) की भागीदारी की फर्म है। अभियुक्तगण संख्या-2 (प्रवीण कुमार जोशी, इमरान खान चूडीगर व मोहम्मद आरिफ चूडीगर) की भागीदारी फर्म साक्षी प्राईम कंसलटेंसी मार्केटिंग प्राईवे

.....पेज सात पर

मजि. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

लिमिटेड द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato के पैक्ड पाउचेज को उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato की निर्माता फर्म यूरो इण्ड्या फ्रेश फूडस् प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत से वेट इनवोइस नम्बर EX/1440/15-16 दिनांक 13.1.2016 के द्वारा क्रय किये गये थे।

इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त संख्या-1 मनीष जैन पुत्र श्री मोहनलाल जैन, जाति- जैन, निवासी- आर्य समाज रोड, मोचीवाडा, सिरोही, जिला- सिरोही, मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता, मैसर्स अम्बिका एजेन्सी सिरोही, बामनवाडजी मंदिर के पास, वीरवाडा, तह. पिण्डवाडा, जिला- सिरोही एवं अभियुक्तगण संख्या-2 (प्रवीण कुमार जोशी, इमरान खान चूडिगर व मोहम्मद आरिफ चूडिगर) की भागीदारी फर्म साक्षी प्राईम कंसलटेंसी मार्केटिंग प्रा.लि., प्लॉट नं.1 सुभाष नगर, राजसमन्द द्वारा द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का विक्रय किया गया है तथा उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato की निर्माता फर्म यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत द्वारा मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato का निर्माण, पैकिंग व विक्रय किया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। चूंकि प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि निर्माता फर्म सभी अभियुक्तगण की ओर से जुर्माना राशि अदा करने हेतु तैयार है। ऐसी स्थिति में, उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato की निर्माता फर्म यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत पर संयुक्त रुप से जुर्माना आरोपित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत उक्त खाद्य पदार्थ Getmore Euro brand Tingling Tomato की निर्माता फर्म यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि., हजीरा मगदल्ला रोड, सूरत- 394510 पर संयुक्त रुप से राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त निर्माता फर्म यूरो इण्डिया फ्रेश फूडस् प्रा.लि. के नॉमिनी शैलेष मनियार पुत्र हर्षद भाई मनियार, निवासी- बी/703 मुरलीधर अपार्टमेन्ट, अजीत पार्क सोसायटी, लाईट रोड, सूरत को आदेशित किया जाता है कि आरोपित जुर्माना राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही